प्रतिलिपि आदेश दिनांक 3-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० निग० 781-तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 9-5-12 पारित द्वारा तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर प्र०क्र० 1069/बी-121/11-12.

अलखराम तनय श्री रामरतन पाल

2- रामबाबू तनय श्री रामरतन पाल

3- रामप्रकाश तनय श्री छोटा पाल

समस्त निवासीगण ग्राम मुडवारा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र० --- आवेदक

विरुद्ध

मातादीन तनय श्री रामचरनपाल

निवासी ग्राम मुडवारा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र० --- अनावेदक

राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है अथवा नहीं ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 -- सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति -- टिप्पणी (आ) -- बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत डिप्पणी इ (90) देखें।

संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है –

2. बंदोवस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन अधिसूचना व्दारा आच्छादित ऐसे गॉवों का परिमाप या पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि कार्यान्वित करेगा जिनमें ऐसे परिमाप , पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि की आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 9.5.12 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर